संशोधित

1090
24/7/25

# महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्यप्रदेश

ई-मेल : maharshipatanjali2014@gmail.comवेबसाइट –www.mpssbhopal.org

## वर्ष 2025-26 की अद्योसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आमंत्रण नोटिस

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार के उददेश्य की पूर्ति की हेतु संस्थान सम्बद्धता प्राप्त 2025-26 हेतु (शासकीय एंव अशासकीय प्राच्य परंपरागत संस्कृत विद्यालयों को अद्योसंरचना विकास हेतु प्रति विद्यालय न्यूनतम रू 5 लाख अधिकतम 10 लाख रू तक) कार्यो के लिए वित्तीय सहायता अनुदान हेतु वर्ष 2025-26 के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। विहित प्रपत्र संस्थान की www.mpssbhopal.org पर डाउन लोड किया जा सकता है। वे ही संस्थान आवेदन करें जिन्हे वर्ष 2025-26 के लिए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से उत्तरमाध्यमा स्तर (12वी) तक सम्बद्धता प्राप्त है।

संस्थान की बेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोडकर अपेक्षित एंव निर्धारित मापदण्डों के अभिलेखों के साथ दिनांक 05 अगस्त 2025 तक संस्थान के पते महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान तुलसीनगर सेकेंड स्टाप भोपाल म0प्र0 पिन कोड - 462003 पर भेजना सुनिश्चित करें। दिनांक 05 अगस्त 2025 के पश्चात् आवेदन मान्य नही होंगे।

**निदेशक द्वारा अनुमोदित**

सहायक निदेशक
महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान,म0प्र0

# महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान म.प्र. भोपाल

**महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से सत्र 2025–26 में सम्बद्वता प्राप्त संस्थाओ को (न्यूनतम रू 5 लाख से अधिकतम रू 10 लाख तक) वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र/सह मापदण्ड**

1. संस्कृत विद्यालय का नाम.....
2. पूर्ण पता ग्राम.....पो.....तह.....जिला.....
3. प्राचार्य/प्रभारी का नाम.....मूल पद.....मो.नं.....
4. प्रबंधक का नाम(केवल अशासकीय विद्यालयों के लियें).....मो.न.....
5. विद्यालय का स्तर कक्षा.....से कक्षा.....तक
6. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एंव शाखा का पूर्ण पता.....
7. बैंक खाता क्रं.....आई.एफ.एस.सी.....
8. बैंक खाता संचालन किस नाम से संचालित .....

————————————————000————————————————

9. विद्यालय महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से सम्बद्वता का आदेश संलग्न करें।
10. अशासकीय विद्यालय प्राच्य/परम्परागत पद्वति से संचालित होना चाहिये।(शासकीय के लिये यह लागू नहीं है) का प्रमाण।
11. विद्यालय में प्राच्य/परम्परागत पद्वति से अध्यापन हेतु समस्त विषयों के शिक्षक संस्कृत योग्यताधारी होना चाहिये। प्रमाण हेतु शिक्षकों की सूची निम्नानुसार प्रारूप में संलग्न करें।

| क्रं. | नाम | पद | अध्यापन का विषय | नियुक्ति दिनांक | शैक्षणिक योग्यता |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

12. पर्याप्त भूमि उपलब्ध होना चाहिये–
    1. भूमि/भवन के स्वामित्व/किराये नामा की पंजीकृत छायाप्रति तथा सम्पूर्ण भवन की फोटो।
    2. भूमि/भवन के स्वामित्व की खसरा नकल, नक्शा, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित।
    3. वर्तमान शाला भवन यदि किराए पर है तो पंजीकृत अथवा नोटराईज्ड किराएनामे की छायाप्रति।
13. सभी विषयो का संस्कृत माध्यम में अध्ययन/अध्यापन अनिवार्य है। का प्रमाण
14. प्रातः एंव सायं के समय संध्यां, वंदन उपासना, योग व्यायाम, क्रीडा, दैनंदिन कार्यक्रम एवं अन्य गतिविधियों में संस्कृतमय वातावरण स्पष्ट दर्शित हो एंव विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में भी विद्यालय की प्राच्य परम्परा का अनुभव आम जनमानस में प्रभाव हो प्रमाण **(डी.व्ही.डी.)** में।
15. विद्यार्थियों के आवास, भोजन, अध्ययन की प्राकृतिक वातावरण में सुरूचिपूर्ण व्यवस्था का प्रमाण **(डी.व्ही.डी.)** में।
16. विद्यार्थियों में कलात्मक अभिरूचि विकसित करने के लिये विविध कलाओ का अभ्यास का प्रमाण **(डी.व्ही.डी.)** में।

17. संचालित कक्षाओ के गत् तीन वर्षो का परीक्षा परिणाम 50प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

| | | (कक्षा % में) | | |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष | कक्षा 5वी | कक्षा 8वी | कक्षा 10वी | कक्षा 12वी |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

18. संस्कृत भाषा गुणवत्ता संवर्धन हेतु किये गये प्रयास/श्रेणीवार/कार्यशाला की जानकारी।
19. विद्यार्थियों को संस्कृत संभाषण हेतु किये गये प्रयास/गतिविधियों की जानकारी।
20. विद्यालय में छात्र संख्या–

| क्रं. | प्रवेशिका<br>1 से 5 | प्रथमा<br>6 से 8 | पूर्वमध्यमा<br>9, 10 | उत्तरतध्यमा<br>11, 12 | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

21. जिस कार्य हेतु वित्तीय सहायता चाहतें है उसकी **डी.पी.आर.** (सम्पूर्ण प्रोजेक्ट योजना) एंव आवश्यकता का प्रतिवेदन।

**नोटः– वित्तीय सहायता हेतु नियम एवं शर्ते पृथक से संलग्न है।**

संस्था प्राचार्य
हस्ताक्षर एंव पद मुद्रा

## जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में वर्णित उपरोक्त सभी जानकारियॉ सही पायी गई मैं विद्यालय.....जिला.....
के विद्यालय की अद्योसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता की अनुशंसा करता हूँ।

स्थान.....
दिनांक.....

जिला शिक्षा अधिकारी
हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदमुद्रा.....

## अधोसंरचना विकास हेतु संस्थान द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता हेतु शर्ते निम्नवत है।
## सत्र 2025–26

1. भवन/अद्योसंरचना का नाम महर्षि पतंजलि के नाम पर रखा जावे।
2. भूमि संबंधी अधिकृत दस्तावेज पर मध्यप्रदेश शासन की प्राधिकृत एजेन्सियों से अनुमति प्राप्त करने एंव विधिवत नक्शा अनुमोदित करवाकर निर्धारित मापदण्डों के आधार पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निमार्ण किया जावे। निर्माण एक वर्ष में पूर्ण करना होगा।
3. संस्थान द्वारा प्रदाय की राशि अनावृर्ति (NON RECURRING) व्यय के रूप में रहेगी।
4. जिस शासकीय एंव अशासकीय पराम्परागत विद्यालय को पूर्व में अधोसंरचना विकास हेतु राशि प्रदाय की जा चुकी है उस विद्यालय का **सत्र 2025–26** एंव आगामी वर्षो में अद्योसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता की पात्रता नहीं होगी।
5. शासकीय निर्माण एजेन्सी/शासकीय पोलोटेक्नीक/शासकीय इंजीनीरिंग कॉलेज द्वारा जारी प्रत्येक स्टेज की टेक्नीकल रिर्पोट (फोटो ग्राफ सहित) यथा स्टेज वाईज–प्लिंथ, रूफ लेबल, सम्पूर्ण निर्माण फिनीसिंग।
6. निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता एंव निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रत्येक स्टेज पर निर्माण कार्य की रिर्पोट शासकीय एजेन्सी/शासकीय पोलेटेक्नीक/शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से टेस्ट रिजल्ट ऑफ कन्करीट, कम्प्रेशन टेस्ट फॉर ब्रिक्स, वाटर एव्जार्शन टेस्ट, रिजल्ट ऑफ इनीशियल एण्ड फाइनल सेंटिग टाइम ऑफ सीमेंट, टेस्टिंग ऑफ प्लेकीनेस एण्ड एलोगेंश एण्ड एलोगेंशन ऑफ कोर्स एग्रीमेंट (20MM) टेस्टिंग ऑफ सीवएनालिसिस ऑफ सेम्पिल ऑफ सेंड की रिर्पोट भी संस्थान कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा।
7. संस्थान द्वारा प्रथम किश्त की राशि विद्यालय की ओर भेजी जा रही है प्रदाय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा आडिटेड विवरण एंव आर्कटिक्ट रिपोट एंव कंडिका 5.5 एंव 5.6 की रिर्पोट प्रस्तुत
8. कार्य पूर्ण होने पर विधिवत शासकीय एजेन्सी द्वारा जारी टेक्निकल रिर्पोट/गुणवत्ता की रिर्पोट उपयोगिता प्रमाण पत्र (UG) फोटोग्रॉफ चार्टर एकाउन्टेन्ट की आडिटेड आय व्यय का विवरण एंव आर्किटेक्ट द्वारा कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र संस्थान कार्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।